PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Kanpur
Friday 28th February 2014, Page: 5
Width: 22.52 cms, Height: 9.61 cms, a4r, Ref: pmin.2014-03-01.22.13

नारकोटिक्स का बंधन, कई दवाएं गायब

कानपुर, जागरण संवाददाता: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) के सीधे हस्तक्षेप से दवा दुकानदार परेशान हैं। नई व्यवस्था एक मार्च से लागू होनी है, लेकिन स्टाकिस्टों ने ब्यूरो की नियमावली के झंझट में पड़ने के बजाए दवाएं मंगाना बंद कर दिया है। इसी का नतीजा है कि बाजार से बहुत सी दवाएं गायब होने लगी हैं और मरीज पर्चा लिए भटक रहे हैं।

ब्यूरो ने बीते दिसंबर में दवा निर्माताओं और थोक विक्रेताओं के लिए नोटिस जारी कर उनके यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता जोड़ दी। रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनकी आईडी बन जाएगी। साइकोट्रापिक दवाओं की खरीद-बिक्री की रोज आनलाइन रिपोर्ट देने

के साथ ही तिमाही रिटर्न भी भरना होगा। मामले ने तब तूल पकड़ा जब महीने भर पहले दवा निर्माताओं ने अपने स्टाकिस्टों को ब्यूरो का फरमान भेजते हुए कहा कि इस वर्ग की दवाओं की अलग पहचान के लिए वह एनआरएक्स लिख देंगे। माना जा रहा है कि कुछ माह पहले बांग्लादेश में भारी मात्रा में फेंसिडिल नामक खांसी की दवा पकड़े जाने पर यह फंदा कसा गया। दि दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष नंद किशोर ओझा और महामंत्री राजेन्द्र सैनी का कहना है कि स्टाकिस्टों ने एक माह से साइकोट्रापिक समूह की दवाओं का आर्डर ही नहीं दिया है, जिससे बाजार में इन दवाओं का अभाव हो रहा है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट, न्यूरो और मानसिक रोगियों के इलाज में इन्हीं दवाओं का उपयोग होता है। दि फुटकर दवा व्यापार मंडल के महामंत्री प्रवीन वाजपेयी का कहना है कि थोक बाजार से माल न मिलने के कारण मरीजों के पर्चे लौटाए जा रहे हैं।

इन साल्ट की दवाओं की कमी

मीडाजोलम, नाइट्राजेपम, पेंटाजोसिन, एल्प्राजोलम, डायाजेपम, जोल्पिडेम, क्लोराडायजेपॉक्साइड, , लोराजेपम आदि के अलावा इन साल्ट से मिश्रित दवाएं भी नारकोटिक्स में आने से दिक्कत है।

मेडिकल कालेज में भी उलझन

नई नियमावली से मेडिकल कालेज में भी दिक्कत है। डॉक्टरों एवं फार्मासिस्टों के बीच बैठक में तय हुआ कि इस वर्ग की दवाओं को पर्चे पर लिखने से पहले डॉक्टरों को अपनी डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन की मुहर लगानी होगी। अलग से रजिस्टर में मरीज का पूरा ब्योरा रखना होगा। वहीं औषधि काउंटर पर अगर ये दवाएं मरीजों को दी जाएंगी तो उसका अलग रजिस्टर बनाकर मरीज एवं डॉक्टर का नाम तथा दवाओं का पूरा विवरण लिख कर रिकार्ड तीन साल तक रखना होगा।

> नारकोटिक्स ब्यूरो का नोटिस अव्यवहारिक है। इतनी बंदिशों के चलते दवा व्यापारी साइकोट्रापिक दवाओं की बिक्री ही नहीं करेंगे, जिसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। दिल्ली में शुक्रवार को होने वाली बैठक में सरकार के प्रतिनिधियों के सामने समस्या रखी जाएगी।
>
> – संजय मेहरोत्रा, उपाध्यक्ष, आल इंडिया केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन।
>
> दवा में साइकोट्रापिक सब्सटेंस यदि 100 एमजी से कम है तो वह नारकोटिक्स एक्ट में नहीं आते हैं। सामान्यत: दवाओं में यह सब्सटेंस इससे काफी कम मात्रा में होता है। दवा व्यापारियों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है।
>
> – एलके सिंह, सहायक आयुक्त (ड्रग), कानपुर।
>
> यह विदेश नहीं है, यहां एक डॉक्टर सौ से दो सौ मरीज तक रोज देखता है। ऐसे में सबका विवरण रख पाना संभव नहीं है। शुक्रवार की बैठक में चर्चा करने के बाद सरकार को पत्र लिखेंगे।
>
> – डॉ. आरती लाल चंदानी, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन।

Regulatory

2A